

बिहार विधान सभा के लिए शून्यकाल सूचना

<p>श्री प्रदीप कुमार, मा० स० वि० स० द्वारा दि०-8.03.2011 को प्रस्तुत शून्यकाल सूचना के उत्तर के संबंध में।</p>	<p>श्रीमती रेणु कुमारी कुशवाहा, मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना</p>
<p>शून्यकाल सूचना</p>	<p>उत्तर</p>
<p>पटना जिलान्तर्गत मसोढ़ी के अनुमण्डल चौराहा पर दि०-06.03.2011 को ग्राम -सरवामठ निवासी सुविभा कुमारी, इन्टर छात्रा की मौत मालवाहक ट्रक से कुचलकर हो गई है। अतः पीड़ित परिवार को दो लाख रू० मुआवजा देने की मांग करता हूँ।</p>	<p>स्वीकारात्मक। सुविभा कुमारी, पिता-परमानंद गिरि (इन्टर छात्रा), ग्राम -सरवामठ की मृत्यु दिनांक -6.03.11 को मालवाहक ट्रक से कुचल कर हो गई थी। जहाँ तक मुआवजा भुगतान करने का प्रश्न है नियमानुसार गैर प्राकृतिक आपदा में किसी एक व्यक्ति विशेष के दुर्घटनाग्रस्त होने पर अनुग्रह अनुदान देने का प्रावधान नहीं है।</p>

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक -04 / वि० स० शू० का० -96 / 2013 / / आ० प्र०, पटना-15, दि०-

प्रतिलिपि उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना को 03(तीन) प्रतियों में / उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / -

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक -04 / वि० स० शू० का० -96 / 2013 / ²⁹⁸³ / आ० प्र०, पटना-15, दि०- 17/7/13 .

प्रतिलिपि सुश्री कविता कुमारी, आई० टी० मैनेजर, आ० प्र० विभाग, बिहार, पटना को इसे विभागीय वेबसाईट पर शीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित। ✓

विशेष कार्य पदाधिकारी